कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1379 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इंडिया मनाखेत के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.763 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/ ROAD/47027/2020)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक– 08बी0/यू0सी0पी0/06/06/2023/एफ0सी0/1519, दिनांक 07.02.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 08बी0/यू0सी0पी0/06/06/ 2023/एफ0सी0/1519, दिनांक 07.02.2023 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा का पत्र 1463/12–1(2) दिनांक 06.12.2023 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	The villages 'Syali" and Ediya are already connected with the existing routes. Only the villages Manakhet is required to be connected. Connectivity to the village Manakhet can be easily provided through the private lands to the nearest existing route. The proposal involves felling of 491 trees which is not justifiable to connect villages which are already connected only the village' Manakhet with the nearest existing road.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्याली एवं इड़िया के कुछ ग्रामीण प्रस्तावित संरेखण से जुड़े हैं, परन्तु अधिकांश आवादी नहीं जुड़ी है। जिस हेतु ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति स्याली से इड़िया–मनाखेत नाम से ही जारी की गई है। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार ही ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु संरेखण को ग्राम स्याली–इड़िया होते हुए प्रस्तावित किया गया है। ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया गया परन्तु उचित मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त न होने के कारण एवं ग्रामवासियों की असहमति के कारण प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया है, जिसमें मात्र 1.763 हे0 वनभूमि ही प्रभावित हो रही है तथा 0 से 10 व्यास के एवं नाप भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों को सम्मिलित करते हुए मात्र 491 चीड़ के वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
2.	The State Govt.is requested to revise the muck disposal plan as 29583 cu. M muck is proposed to be disposed of while the carrying capacity of the muck disposal yards is mentioned to be only 1026 cu.m.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलुवा निस्तारण योजना संशोधित कर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)
3.	State Govt. is requested to revise their norms of minimum road width requirements to provide connectivity to such isolated villages	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित संरेखण में मोटर मार्ग की चौड़ाई 9 मी0 ली गई है। विभाग के मानकों

P.T.O.

	through forest areas. It will help in maintaining biological richness	के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण के दौरान मात्र 5.95 मी0 चौड़ाई में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

अतः वन सरंक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 1379 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।